न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस)

मिश्री खॉ व अन्य

बनाम

राजस्थान सरकार इत्यादि

उपस्थित

1. श्री रोशनलाल, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री दयाराम चौधरी,राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 व 2

आदेश

दिनांक 13 जून 2025

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 13/2022 अनवान मिश्री खॉ व अन्य बनाम राजस्थान सरकार इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 10 मार्च 2022 के विरूद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 14 मार्च 2022 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम फलोदी के खसरा नं0 705 रकबा 60 बीघा, खसरा नं0 702 रकबा 15 बीघा कुल रकबा 75 बीघा आई हुई है, जिस पर अपीलांट्स का पुश्तैनी कब्जा काश्त है। वक्त सेटलमेंट उपरोक्त भूमि खसरा नं0 705 का कुल रकबा 4280 बीघा 12 बिस्वा था। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में मूल खसरा संख्या 705 का रकबा 64.7496 हैक्टर अर्थात् 400 बीघा 15 बिस्वा है। उक्त खसरान में रकबा 60 बीघा व 15 बीघा भूमि पर अपीलार्थीगण का पुश्तैनी कब्जा काश्त चला आ रहा है। पूर्व में अपीलार्थीगण के पूर्वज फते

	खां का वक्त सेटलमेंट से कब्जा काश्त था तथा उनके देहान्त के पश्चात अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। विवादग्रस्त भूमि पर समय समय पर पी-14 व धारा 91 एल.आर. के नोटिस व रसीदे अपीलार्थीगण के पक्ष में जारी किये हुए है तथा नियमन की सिफारिश भी अपीलार्थीगण के पक्ष में की हुई है। वर्तमान में सेग्रीगेशन की कार्यवाही के दौरान खसरा सं0 705/1 रकबा 1350 बीघा भूमि की तरमीम जो गैर मुमकिन गौचर दर्ज है, की गलत जगह कर दी गई है, जिस कारण अपीलार्थीगण को अतिकमी बताया जा रहा है तथा उन्हे बेदखल किये जाने की धमकी दी जा रही है। वादग्रस्त आराजी पर वक्त सेटलमेंट से राजस्व दस्तावेजात से अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त साबित होता है। मौके पर पानी का टांका व कच्चा रहवासीय मकान बना हुआ है, जिससे प्रथम दृष्टया मामला अपीलार्थीगण के पक्ष में साबित होता है। वक्त सेटलमेंट से अपीलार्थीगण व उसके पूर्वज काबिज होने के कारण तथा खसरा परिवर्तन निर्धारण तथा नियमन की सिफारिश की गई होने के कारण सुविधा का संतुलन भी अपीलार्थीगण के पक्ष में साबित होता है। यदि प्रत्यर्थीगण अपीलार्थीगण को उनके कब्जे काश्त से बेदखल करते है तो अपीलार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी भरपाई किया जाना नामुमकिन है। अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं को अपने पक्ष में साबित किया है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तीनो बिन्दुओ की व्याख्या किये बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया है जो अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनाक 10-03-2022 को निरस्त किया जावे एवं वाद	

	के लम्बित रहने तक विवादित भूमि के मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश फरमाये। जवाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि है तथा राज्य सरकार के खाते में दर्ज है। अपीलांट्स वादग्रस्त आराजी पर बतौर अतिक्रमी दर्ज है। कानूनन अतिक्रमी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा अंतरिम आदेश के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है जो पोषणीय नहीं है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमायी जावे। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अद्यतन जमाबंदी ग्राम फलोदी तहसील फलोदी के मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 702 रकबा 36.9963 हैक्टेयर वर्तमान में रेस्पोडेंट संख्या तीन नगरपालिका फलोदी के नाम से खातेदारी में दर्ज है तथा खसरा नंबर 705 रकबा 64.7496 हैक्टेयर की भूमि राज्य सरकार के खाता संख्या एक में दर्ज है। अपीलांट्स वादग्रस्त आराजी पर बतौर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है। कानूनन अतिक्रमी रेकर्डेड खातेदारान् के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में नहीं पाये जाते है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश में इस स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के	

	विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। मामला विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिनुसार त्वरित निस्तारण हेतु विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाना न्याय हित में उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि वह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण करे। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। **(ओमप्रकाश विश्नोई)** **राजस्व अपील प्राधिकारी** **जोधपुर**	